कार्यवाही विवरण

1. मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.–श्री अभिनीत उपाध्याय), खसरा क्रमांक–614/3, 615, 639/1, 639/2, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 644, 678, 695/3, 695/5 एवं 695/11 लीज एरिया–2.2 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–3,350 घनमीटर प्रतिवर्ष, ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा।

2. मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.–श्री दयाराम यादव), खसरा क्रमांक–591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 591/5, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 600/1, 600/3, 603, 609/1, 609/2, 612, 614/1, 614/2, 616, 617, 611, 613, 610 एवं 602, लीज एरिया–4.47 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष, ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई दिनांक 25.09.2023 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–ग्राम पंचायत भवन के सामने स्थित मैदान, ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) में आयोजित संयुक्त लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत 1. मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.–श्री अभिनीत उपाध्याय), खसरा क्रमांक–614/3, 615, 639/1, 639/2, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 644, 678, 695/3, 695/5 एवं 695/11 लीज एरिया–2.2 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–3,350 घनमीटर प्रतिवर्ष, ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा, 2. मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.–श्री दयाराम यादव), खसरा क्रमांक–591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 591/5, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 600/1, 600/3, 603, 609/1, 609/2, 612, 614/1, 614/2, 616, 617, 611, 613, 610 एवं 602 लीज एरिया–4.47 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष, ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई के संबंध में परियोजना प्रस्तावकों के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र बिजनेस स्टैण्डर्ड, नई दिल्ली दिनांक 23.08.2023 एवं दैनिक समाचार पत्र, पत्रिका, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ दिनांक 23.08.2023 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 25.09.2023 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–ग्राम पंचायत भवन के सामने स्थित मैदान, ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बेमेतरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–बेमेतरा, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग

केन्द्र, जिला–बेमेतरा, सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बेरलाकला, जिला–बेमेतरा, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजनाओं के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में लिखित अथवा मौखिक रूप से उक्त परियोजनाओं के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त परियोजनाओं की संयुक्त लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 25.09.2023 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–ग्राम पंचायत भवन के सामने स्थित मैदान, ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तत्पश्चात् परियोजना की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन चंद्रा द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

तदोपरान्त अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–बेमेतरा द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री खेलंत यादव, पंच, ग्राम–बेरलाकला, जिला–बेमेतरा।**

➢ ईंट भट्ठा संचालक स्थानीय है। जिससे लोग गांव वालों को सहयोग प्रदान करते हैं। गरीबों की सहायता करते हैं। गांव में घर बनाने के लिये बाजार से कम कीमत में ईंट दिया जाता है। गांव में किसी की मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार के लिये जेसीबी लकड़ी आदि की व्यवस्था की जाती है। मेरा अनुरोध है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किया जाये।

2. **श्री जितेन्द्र कुमार यादव, ग्राम–बेरलाकला, जिला–बेमेतरा।**

- गांव के सभी विकास कार्य के लिये भट्ठा संचालक द्वारा सहयोग किया जाता है। मेरा अनुरोध है कि शासन से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किया जाये।

3. **श्री हीरामन साहू, ग्राम–बेरलाकला, जिला–बेमेतरा।**

- हमारे गांव में भट्ठा संचालकों द्वारा रियायत दर पर एक रूपये में ईंट दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किया जाये।

4. **श्री चंद्रप्रकाश साहू, उपसंरपंच, ग्राम–बेरलाकला, जिला–बेमेतरा।**

- ग्राम पंचायत से कोई आपत्ति नही है। मेरा अनुरोध है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किया जाये।

5. **श्री चन्दू यादव, ग्राम–बेरलाकला, जिला–बेमेतरा।**

- ईंट भट्ठा द्वारा लगातार सहयोग दिया जा रहा है। आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। हमारे गांव में भट्ठा संचालकों द्वारा रियायत दर पर ईंट दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किया जाये। मेरा निवेदन है कि ईंट भट्ठा वाले फ्लाई ऐश का भण्डारण बाउण्ड्रीवाल के अंदर किया जाये। ईंट भट्ठों वालों से किसी भी प्रकार की असुविधा नही है।

6. **श्रीमती जोहत्री निषाद, ग्राम–बेरलाकला, जिला–बेमेतरा।**

- ईंट भट्ठों वालों से किसी भी प्रकार की शिकायत नही है। ईंट भट्ठा द्वारा लगातार सहयोग दिया जा रहा है।

7. **श्री नन्दकुमार निषाद, ग्राम–बेरलाकला, जिला–बेमेतरा।**

- ईंट भट्ठों वालों से किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है।

8. **श्रीमती कालिन्द्री बाई यादव, ग्राम–बेरलाकला, जिला–बेमेतरा।**

- ईंट भट्ठों वालों से किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है। पहले हमारे गांव में एक भी पक्का मकान नही थे। यादव जी के सहयोग से आज हर घर में पक्के घर बन गये हैं।

9. **श्रीमती भानबती निषाद, ग्राम–बेरलाकला, जिला–बेमेतरा।**

- ईंट भट्ठों वालों से किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है।

10. **श्री डेरहाराम यादव, ग्राम–बेरलाकला, जिला–बेमेतरा।**

- ईंटा भट्ठा वाले भाई लोग समय समय पर हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारी हर परिस्थिति में वे हमारे सुख दुःख में साथ खड़े होते हैं। ईंट भट्ठों वालों से किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है।

11. **श्री बिसेसर साहू, ग्राम–बेरलाकला, जिला–बेमेतरा।**

➢ यहां 20–25 साल से ईंट भट्ठा संचालित है। इतने वर्षो से भट्ठों में किसी भी प्रकार की जनधन की हानि नही हुई है। गांव में सड़क दुर्घटना की कोई शिकायत नही हुई हैं। यहां बाहर से दूर दूर से गांव में लोग काम करने आते हैं। लेकिन उनसे कोई भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नही हुआ हैं। ईंट भट्ठा वाले भाई लोग समय समय पर हमारा सहयोग कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किया जाये।

12. **श्री शंकर पिंजानी, रायपुर, जिला–रायपुर।**

➢ मैं ईंट भट्ठा संचालक हूं। हमारे द्वारा रियायत दर पर ईंट उपलब्ध करवाया जाता है तथा हम लोग लगातार गांव वालों का सहयोग कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किया जाये।

13. **श्री हेमन्त वर्मा, ग्राम–बोरसी, जिला–बेमेतरा।**

➢ ईंटा भट्ठा का समर्थन करता हूं। हमारे द्वारा रियायत दर पर ईंट उपलब्ध करवाया जाता है।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया, किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मौखिक मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन चंद्रा द्वारा उक्त परियोजनाओं के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

❖ भट्ठा संचालक द्वारा फ्लाई ऐश का भण्डारण परिसर के अंदर तिरपाल से ढ़ंककर रखा जायेगा जिससे वह उड़कर गांव तक न आये।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 47 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजनाओं के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान कुल 13 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 52 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–बेमेतरा द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 12.05 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

25/9/23
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–बेमेतरा